



A Comprehensive Study of Accessibility of Legal Affordable Housing of Urban Slum People with special reference to Indore city

*The urban poverty has different concerns related to housing, sanitation, health, water, social security, education, livelihoods and the special needs of susceptible groups such as women, children and the aging. This research paper is mainly focused on accessibility of legal and affordable housing and assessment of housing conditions of the urban slum people. Paper assesses the pre housing conditions of urban slum households followed by post implementation of BSUP, JNNURM project in Indore. This paper also suggest the improvement in the project planning and implementation process that includes enriched community participation in the planning phase as well as de-notification of slums should be done after the project implementation. **Key Words** : BSUP projects, JNNURM, legal and affordable housing, Urban Slum.*

DR. (MRS.) SHREE DWIVEDI* & AVINASH BHATHEJA**

(1) Introduction :

Housing and other basic services are inflexible significant to the well-being, lack of housing and other basic services impacts many low-income households, the negative effects are magnified in families. Lack of housing and basic services leads to more challenges and expenses, less flexibility for work hours and job relocation, child care and educational costs, and a higher percentage of income required for food, health care, and other regular expenses. When housing and basic service needs are appropriately met, family members are more likely to be healthy and perform well in society and they are more likely to be productive members of a strong workforce.

(1.1) Total Houses :

As per the 2011 Census, the total number of houses in India was 330.84 million. This includes 306.16 million occupied and 24.67 million vacant houses. The number of houses in rural area was 220.70 million with 207.12 million occupied houses and 13.58 million vacant houses; in urban areas the number was 110.14 million total houses, which includes 99.05 million occupied and 11.09 million vacant houses.⁽¹⁾

(1.2) Housing Shortage in India :

Estimated urban housing shortage in the India was calculated on the basis of the Census 2011 data on the number of households, available housing stock, acceptable

housing stock, overcrowding/congestion in the existing dwelling units and obsolescence factor by a Technical Group(TG-12) constituted by the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, which revealed that there is a shortage of 18.78 Million in India which include 0.99 million households who are living in the Kaccha houses requires new homes, 2.27 million households who are living in the Obsolescent houses requires new homes, 14.99 million households living in the congested houses requires new homes and .53 million households are homeless requires new home.

(2) Objectives :

(i) To assess the housing conditions of the urban slum people before the implementation of the BSUP, JNNURM project in Indore.

(ii) To analyze the impact of housing on living conditions of urban slum people after the implementation of BSUP, JNNURM project in Indore.

(3) Methodology :

In this study primary data was collected through structured interview schedule from the major BSUP project sites. The sample size for this research paper was 253 households. For data was statistically analyzed through paired t-test.

(4) Hypothesis :

H₀ : There is no statistically significant difference

*Professor (Department of Sociology), M.J.B. Govt. Girls P.G. College Indore (Madhya Pradesh)

**Research Scholar, M.J.B. Govt. Girls P.G. College Indore (Madhya Pradesh)

in the arithmetic mean scores of access to legal and affordable housing to urban slum people in pre and post implementation of BSUP project.

H1 : There is a statistically significant difference in the arithmetic mean scores of access to legal and affordable housing to urban slum people in pre and post implementation of BSUP project.

(5) Hypothesis Testing :

Access to improved housing through enabling conditions and slum upgrading, developed in an inclusive and integrated manner, will contribute to reducing social inequalities and strengthen drive towards sustainable urbanization in many developing economies. It will also have a range of additional impacts such as strengthening security of tenure conditions for many, improved public space, livelihood generation, better basic services and urban safety.⁽²⁾

Table No. 1 : Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre_Housing	1.9145	253	.53022	.03333
	Post_Housing	4.3443	253	.36923	.02321

The above table indicates mean scores of BSUP beneficiaries' responses regarding access to legal and affordable housing in pre (n = 253, m = 1.91, SD = 0.53) and post (n = 253, m = 4.34, SD = 0.36) implementation of BSUP project. The difference between mean values of pre and post data indicates that the beneficiaries of BSUP project have the access to legal and affordable housing.

Table No. 2 : Paired Samples Test

			Pair 1
			Pre_Housing - Post_Housing
Paired Differences	Mean		-2.42980
	Std. Deviation		.64576
	Std. Error Mean		.04060
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-2.50976
		Upper	-2.34985
T		-59.849	
Df		252	
Sig. (2-tailed)		.000	

The paired sample t test was conducted to compare the arithmetic mean scores of BSUP beneficiaries' responses regarding access to legal and affordable housing in pre (n = 253, m = 1.91, SD = 0.53) and post (n = 253, m = 4.34, SD = 0.36) implementation of BSUP project.

(6) Decision :

A t statistic was found statistically significant, t (252) = -59.84 and p = 0.000, in case of first hypothesis which

was developed to assess the status of legal and affordable housing to the urban slum people with different components including its size & structure, Legal Status, security of its tenure, affordability, quality of housing, open space around the house, air circulation, wash room and toilet facility last but not least i. e. availability of separate Kitchen in the pre and post implementation of BSUP project. Since, p values is significant (=0.05) hence, null hypothesis is not accepted.

(7) Conclusion :

The Sig. (2-Tailed) value is 0.000, which is less than .05, this concluded that there is a statistically significant difference between the mean of legal and affordable housing in pre and post implementation of BSUP project. Since the above Paired Samples Statistics table revealed that the mean for legal and affordable housing in post implementation phase was greater than pre implementation phase. It can be concluded that participants in the post implementation phase were able to get access to legal and affordable housing, which contributes to upgrade the living conditions of BSUP project beneficiaries.

(8) Recommendations & Suggestions :

On the basis of data analysis and findings, the researcher proposes the following recommendation and suggestions which can strengthen the policy making and program implementation for the urban slum people.

(i) Capacity Building should be done in more concrete way to build consensus, engagement with community at the time of planning and post project phase for maintenance of built infrastructure.

(ii) Linkages with Local NGOs and CBOs should be done in more tangible way as a major stakeholder to implement the rehabilitation program.

(iii) Local residents committee should be form in better way and should work to support the capacity building of local residents to provide necessary monitoring in the housing project.

(iv) De-notification of slums should be done after the project implementation.

(9) Limitations :

(i) This study has conducted with an overview to assess the impact of housing and other basic services on the living conditions but it is limited only to the interventions related to BSUP program.

(ii) This study has less emphasis on the behavior aspects of beneficiaries which directly assess the attitude of the beneficiaries towards various sociocultural issues leads to improvement in living conditions.

(iii) This study has taken the geographical area which is limited to only Indore Municipal Boundaries.

(10) References :

(1) *State of Housing in India - A Statistical Compendium 2013*, National Buildings Organisation, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India.
 (2) <https://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading>

(3) Amitabh Kundu, Trends and processes of Urbanisation in India, 2011, (IIED and UNFPA) 64 Pages.

(4) Urban Poverty In India And Post-MDG Framework, Oxfam India working papers series April 2013 OIWPS - XVII.

(5) V.K. Dhar, Ruchira Sen, Nakul Kumar, Urban Poverty Alleviation Initiatives & The JNNURM: A Critical Assessment, 2006 (NIUA) (Paper).

(6) World Urbanization Prospects The 2014 Revision, United Nations, New York, 2014.

(7) Primary Census Abstract, 2011 Census of India

(8) Annual Report-2011-12, Ministry of Housing and Poverty Elevation, Govt. of India - 2012.

(9) Faster, Sustainable and More Inclusive Growth an Approach to the twelfth five year plan (2012-2017).

(10) The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements, 2003, United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT, 310 pages.

(11) Learning from Nanded: A Study of Basic Services for the Urban Poor (BSUP), Working Paper -20, Renu Desai, Aseem Mishra and Kaushal Jajoo, Centre for Urban Equity, CEPT University, Ahmedabad, 2013.

(12) Report of the Technical Group on Urban Housing Shortage, Planning Commission of India-2012.

(13) Urban Poverty & Vulnerability in India, 2001, Susan Loughhead, Dr Onkar Mittal and Professor Geof Wood - Dept. for International Development (DFID).

(14) Revised BSUP Guideline MHUPA 2009.

(15) City Development Plan, Indore, JNNURM, 2005 Indore Municipal Corporation, Indore MP Detailed Project Report, Rajiv Awas Yojna, Indore.

(16) Detail Project Report, BSUP Indore, Phase I & II, Indore Municipal Corporation, Indore, MP.



‘रिसर्च लिंक’ की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है-

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

ब्रांच : ओल्ड पलासिया, इन्दौर,

कोड - **SBIN 000 3432**

खाते का नाम : रिसर्च लिंक,

खाता नंबर - **63025612815**

भुगतान की मूल रसीद, शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।

UGC -

APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source :	UNIV
Subject :	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a,Social Sciences(all)
Publisher :	Research Link
Country of Publication :	India
Broad Subject Category :	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science
Print	

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

(1) शोध-पत्र 1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10 (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर ‘पेजमेकर 6.5’ में भेजें।

(3) पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि (AnmolLipi) या अमृत बोली (Amritboli) या जॉय (Joy) में टाईप करवाकर ‘पेजमेकर 6.5’ में भेजें।

(4) अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाइम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फॉन्ट (Arial) में टाईप करवाकर ‘पेजमेकर 6.5’ या ‘माइक्रोसाफ्ट वर्ड’ में भेजे जा सकते हैं।

(4) शोधपत्र की विधि - (1) शीर्षक (2) एबस्ट्रैक्ट (3) की-वर्ड्स (5) प्रस्तावना/प्रवेश (5) उद्देश्य (6) शोध परिकल्पना (7) शोध प्रविधि एवं क्षेत्र (8) सांख्यिकीय तकनीक (9) विवेचन या विश्लेषण (10) सुझाव (11) निष्कर्ष एवं (12) संदर्भ ग्रंथ सूची।

(6) संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -

For Books :

(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.

For Journals :

(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume, Issue, Page Numbers.

Web references :

<http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html>

(7) गुजराती माध्यम के शोधपत्र हरेकृष्णा (Harekrishna), टेराफॉन्ट वरुण (Terafont Varun), टेराफॉन्ट आकाश (Terafont Aaksah) में टाईप करवाकर ‘पेजमेकर 6.5’ में भेजे जा सकते हैं।

(8) शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हार्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर ‘रिसर्च लिंक’ के कार्यालय को प्रेषित करें।





ईट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों की स्थिति

प्रस्तुत शोधपत्र छत्तीसगढ़ के धमधा तहसील के ईट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। औद्योगिकीकरण के इस युग में जहां हम एक ओर विकास के पायदान पर चढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानवीयता के धरातल पर संवेदनशून्य होना आधुनिकता का पर्याय बनता चला जा रहा है। जिन आलीशान भवनों में हम रहते हैं, उन्हें बनाने वाले श्रमिक विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र जैसे ईट भट्टों में कार्यरत श्रमिक कई सामाजिक विषमताओं के बीच जीवनयापन करने के लिए मजबूर हैं। ये अस्थायी श्रमिक अपनी आजीविका और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत हैं। जहाँ एक ओर ये स्वयं अस्थायी हैं, तो वहीं इसका प्रभाव उनके परिवारों पर भी पड़ता है। **कुँजी शब्द : श्रम, श्रमिक, असंगठित श्रमिक, ईट भट्टा श्रमिक, छत्तीसगढ़ के ईट भट्टे।**

ऋचा शर्मा* एवं डॉ.सुचित्रा शर्मा**

प्रस्तावना :

श्रमिक पर किसी भी औद्योगिक समाज की सफलता निर्भर करती है, श्रमिक की कार्यकुशलता और अकुशलता पर उत्पादन निर्भर करता है तथा उत्पादन की सफलता श्रमिक की संतुष्टि से ही मिल सकती है। जॉन रॉबिंसन आज जितने भी महानगर अपनी गगनचुम्बी इमारतों के बल पर महानतम और विकसित क्षेत्रों की भव्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे जिन हाथों ने अपने श्रम से आधार दिया है, उन्हें हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है। जिन्होंने हमें ये विलासता दी, वे आज भी अपने छोटे-छोटे हाथों से बड़ी-बड़ी इमारतें बना रहे हैं, जिन्होंने हमें अपने हाथों से बनाए महलनुमा घरों में महफूज कर रखा है, वे आज भी असुरक्षित जीवन जी रहे हैं, जैसे एक दिया सारी दुनिया को उजाला कर अपने ही तले अंधेरा समेट लेता है, वैसे ही आज ये असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले ईटभट्टा श्रमिक हैं, जो ये चकाचौंध भरी दुनिया सजाते हैं और खुद एक-एक रात बिताने छोटी-सी झोपड़ी में अंधेरे के साथ सोते हैं। उनके भविष्य उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिंदगी में जब सुबह होती है, तो खुशी-खुशी खेलकर शिक्षा लेना छोड़ भूख मिटाने ईट भट्टों में काम पर जाते हैं, छोटे-छोटे हाथों से ईट बनाते हैं, दुनिया सजाते हैं, चार पैसे कमा खाना खाते हैं, फिर थक कर अपनी अंधेरी सी झोपड़ी में सो जाते हैं।

भारत एक ऐसा देश है, जो विकास की दौड़ में निर्बाध गति से प्रगतिशील हैं, जिस आवेग से यहाँ जनसंख्या और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हो रही है, उसके सापेक्ष रोजगार की उपलब्धता में कमी स्पष्ट व्याप्त है, यह एक जनजातिय बाहुल्य राष्ट्र है, जो कि

अशिक्षा के घेरे में है और जो शिक्षित न होने के कारण लाचारी, भूखमरी व बेरोजगारी का जीवन जीने पर लाचार हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण के विस्तार में जब इन जनजातिय बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा उद्योग लगाया जाता है, तो इन्हें वहाँ से मुट्ठी भर पैसे व मन में दहशत देकर विदा कर दिया जाता है, फलतः इन्हें नगरों में प्रवेश करना पड़ता है, जहाँ शिक्षितों की अफसरशाही दुनिया में अशिक्षित होने के नाते असंगठित क्षेत्रों में कार्य मिल जाता है। कार्य प्राप्त होने के पश्चात् इनके परिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक इत्यादि पृष्ठभूमि में व्यापक बदलाव होता है, जिसका प्रभाव इनकी जीवन इच्छा, कार्य क्षमता व मानसिकता पर पड़ता है। कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में यह कहा कि आधुनिक समाज दो वर्गों से मिलकर बना है, पहला वह जिसका उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार होता है— पूंजीपति वर्ग और दूसरा वह जिसके पास सिवाय अपने श्रम शक्ति के कुछ नहीं अर्थात् सर्वहारा वर्ग।

इन दोनों की आपसी निर्भरता के कारण ही वर्तमान समाज पराश्रित अर्थात् आधुनिक समाज बनता है, अर्थात् इन दोनों वर्गों के बिना आधुनिक समाज शून्य है, चूंकि ये श्रमिक भी हमारे ही समाज का अविभाज्य अंग हैं। अतः इनकी क्षीणता व कुंठा, जैसा सामाजिक ह्रास हम सब के लिए चिन्तनीय है।

शोधपत्र का उद्देश्य :

(1) ईट भट्टा श्रमिकों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण कर वस्तुस्थिति को ज्ञात करना।

(2) ईट भट्टा में कार्यरत श्रमिकों में कल्याणकारी योजनाओं की प्रभाविकता को ज्ञात करना।

*शोधार्थी (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय वि.या.ता.स्नात.स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

**सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय वि.या.ता.स्नात.स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

उपकल्पना :

(1) वर्तमान में ईट भट्टा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति निम्न स्तर व शोषण युक्त है।

(2) ईट भट्टा श्रमिकों में अशिक्षा के कारण अपने कल्याणार्थ हेतु लागू योजनाओं के प्रति अनभिज्ञता है।

शोध क्षेत्र :

(1) छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के धमधा तहसील में स्थित ग्राम बसनी के ईट भट्टे को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है, जिसमें 675 श्रमिक कार्यरत हैं। इनमें से 120 श्रमिकों का दैव निर्देशन के लॉटरी प्रणाली द्वारा चयन किया गया है।


सांख्यिकीय तकनीक :

प्रस्तावित अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची उपकरण व अवलोकन प्रविधि के माध्य से किया गया है।

ईट भट्टा व श्रमिक :

इतिहास इस बात का गवाह रहा है, कि मानव जीवन में श्रम का महत्व आदिकाल से विद्यमान है। यह केवल मानव जीवन में ही नहीं, अपितु पशुओं के जीवन में भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। मुख्यतः श्रम शब्द दो अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है, पहला होता है, सामान्य अर्थ— श्रम मेहनत, कर्म या क्रिया और दूसरा होता है, अर्थशास्त्रीय अर्थ अर्थात् वह कोई भी उद्देश्यपूर्ण क्रिया या मेहनत जो पारिश्रमिक प्राप्ति या मुद्रा प्राप्ति हेतु किया जाता है, वह श्रम कहलाता है और इस क्रिया को करने वाला श्रमिक कहलाता है।

श्रम समस्याओं पर विचार करते वक्त श्रम श्रमिक कामगार या कर्मचारी शब्द का प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में किया जाता है, जिसका अर्थ मजदूरी पर कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। इसमें निम्न बातों का समावेश पाया जाता है। श्रम में केवल उन्हीं प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है, दूसरा ये प्रयास शारीरिक या मानसिक अथवा दोनों हो सकते हैं। श्रम किसी न किसी रूप में उपयोगिता का सृजन करता है। ये सभी प्रयास जो अपनी इच्छा या मजबूर होकर किए जाते हैं। यदि उनके द्वारा उपयोगिता का सृजन तथा भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा वितरण होता हो, तो वे सब श्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसे निम्न चित्र से वर्गीकृत किया जा सकता है :



उपर्युक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि उत्पादन का क्षेत्र कोई भी हो, अपने श्रम का उपयोग करने वाला श्रमिक कहलाता है। आज हम देख रहे हैं कि श्रमिक चाहे वह कारखाने में हो, खेती, बागान या उद्योग में कार्यरत हो अपने श्रम के दोहन के द्वारा देश की आर्थिकी में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भागीदारी निभा रहे हैं।

जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन के क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की भागीदारी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। यह प्रतिशत 2001 में 41.25 प्रतिशत था, जो 2011 में बढ़कर 50.2 प्रतिशत हो गया, जो इस बात का संकेत है कि विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं असंगठित श्रमिकों के विश्लेषण पर आधारित है। भारत में ऐसे श्रमिकों की संख्या 94 प्रतिशत से भी अधिक है, जिसके अंतर्गत मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग, पैकिंग, चमड़े का उद्योग, कारीगर, ईटभट्टा श्रमिक भूमिहीन खेतिहर मजदूर प्रवासी श्रमिक नाई व सब्जी विक्रेता ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यापारी आते हैं।

पूर्व अध्ययन :

इस दिशा में कुछ अध्ययन किए गए हैं, गुप्ता ज्योति (2003)⁽¹⁾, सिंह डी.पी. (2005)⁽²⁾, भुखुथ आंगेन्द्र (2006)⁽³⁾, मंडल अमल (2010)⁽⁴⁾, दास एम. (2013)⁽⁵⁾, दास सुमन (2014)⁽⁶⁾, दास रॉबिन (2015)⁽⁷⁾ आदि। पूर्व अध्ययनों के अवलोकन में यह पाया गया कि अन्य व्यवसायों की अपेक्षा ईटभट्टों में धूल व धुएँ के कारण अत्याधिक मात्रा में वायु प्रदूषित हो रही है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ हावी हो रही हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। साथ ही यहाँ कार्यरत महिला श्रमिक जो अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण लैंगिक असमानता जैसी स्थिति में भी कार्य करती पायी गई। इस विश्लेषण से यह एक बात और सामने आयी कि ईट भट्टों में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक दशाएँ अच्छी नहीं हैं, जिससे इन श्रमिकों का परिवार प्रभावित होता है।

विश्लेषण :

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण व प्रस्तुतिकरण निम्न प्रकार से है :

उत्तरदाताओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति :


श्रमिकों की वस्तुस्थिति का मूल्यांकन निम्न आधार पर आंका गया है :

शिक्षा : किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, जिसके आधार पर उसका जीवन दिशा को प्राप्त करता है। शिक्षा का तात्पर्य जीवन में ज्ञान के होने से है, हमारे सामाजिक जीवन में होने वाले प्रत्येक घटनाक्रम के लिए शिक्षा एक उत्तरदायर कारक है, इसलिए अध्ययन में शिक्षा के स्तर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में ज्ञात किया गया है।

आय : आय अर्थात् व्यक्ति की आर्थिक स्थिति। आय ही वह अधार

होता है, जो व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक उत्तरदायित्व को सम्पन्न करने में सहायता पहुँचाता है, साथ ही व्यक्ति के परिवार का भरण पोषण, सुख – सुविधा व सामाजिक स्थिति का द्योतक होता है, अतः श्रमिकों की वस्तु स्थिति को जानने के लिए आय को ज्ञात किया गया है।

श्रमिक संगठन : श्रमिक संघ कर्मचारियों का एक ऐसा संगठन है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य ही सामूहिक कार्यवाही के द्वारा अपने सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की रक्षा करना व उसमें निरंतर सुधार लाना होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में श्रम संघ एक या अधिक व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों की वह संस्था है। जिसका संचालन मुख्यतः अपने सदस्यों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित आर्थिक हितों की रक्षा करना होता है। अतः श्रम संघ का ईंट भट्टा श्रमिकों के जीवन में अत्यधिक महत्व है। इस कारण उत्तरदाताओं से ईंट भट्टे में श्रम संघ से संबंधित ज्ञान को ज्ञात किया गया है।



Education	Value	Percentage
	75	62.5
45	37.5	
120	100	
Govt. policy	Value	Percentage
	60	50
	40	33.4
	20	16.6
	100	
Knowledge of union	Value	Percentage
	72	60
	30	25
	18	15
	120	100

वर्तमान समय में श्रमिकों की स्थिति के बारे में अवलोकन एवं विश्लेषणों से यह स्पष्ट है कि ईटा-भट्टा श्रमिक आज निम्न स्तर का जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं।

निष्कर्ष :

आधुनिक नगरीकरण के युग में ईट भट्टा और श्रमिक अनिवार्य अंग के रूप में सर्वत्र मौजूद हैं, क्योंकि इन्हीं के अथक प्रयास के फलस्वरूप नगरीकरण का सपना सकार रूप ले रहा है। ईट भट्टा और उसमें कार्यरत श्रमिक आदि काल से मौजूद है, पर अब तकलीफ इस बात कि है, कि ईट भट्टों में कार्यरत श्रमिक आज भी शोषणकारी अवस्था में जी रहे हैं। ये श्रमिक पहले भी तकलीफ की स्थिति में थे, पर तब इन श्रमिकों की स्थिति सर्वत्र शोषणकारी थी। आज की स्थिति में संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की स्थिति इनकी तुलना में सुरक्षित व सुविधाजनक है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की स्थिति का यह अंतर विचारणीय है। कार्य करने वाला श्रमिक ही है, चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक भी तो हमारे ही समाज के अविभाज्य अंग हैं। हमारे आधुनिक नगर इन पर ही तो निर्भर होकर विकास के पथ पर अग्रसर व गतिमान हो रहे हैं,

इनकी सामाजिक स्थिति आज भी इतनी दयनीय है कि इन्हें आधुनिक बंधुआ मजदूर की संज्ञा दी जा रही है, जो कि अत्यंत ही दुखद है।

संदर्भ :

- (1) Gupta, Jyoti (2003) : *Informal Labour In Brick Kilns : Need For Regulation*, *Economic and Political Weekly*, August 2.
- (2) Singh, D.P. (2005) : *Woman Workers In The Brick Kiln Industry In Haryana, India*. *Indian Journal Of Gender Studies Vol.12, No. 01, PP 83-97*.
- (3) Bhukuth, Ogendra (2006) : *The Brokerage System In The Brick Kiln Industry In Tamilnadu India, Forum For Economics, Vol 35, Issue 2, PP 55-74*.
- (4) Mandal, Amal (2010) : *Health Problems Faced By Brick Kiln Workers In Salem District, Indian Journal Of Gender Study, Vol 17, No 1, Apr 2010, 135-150*.
- (5) Das, M. (2013) : *Industrial Accidents In Bricks Industry : A Case Study In Karimganj District Of Assam, A Journal Of Humanities And Social Science*. Vol I, Issue 04, P-64.
- (6) Das, Suman (2014) : *International Journal Of Multidisciplinary Approach And Studies For Economic Condition Of Migrated Brick Workers On The River Haora West Tripura Dist. Tripura, Vol-01, No. 05*.
- (7) Das, Robin (2015) : *Socio-Economic Standing Of Workers In Brick Kiln Mistreatment To Social Wellbeing* An Assessment Of Khejuri CD Block In Purba Medinipur Dist. *West Bengal International Journal Of Humanities And Social Science Invention Vol-04, Issue-01, PP 39-49*.





महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण (छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के विशेष संदर्भ में महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण से सम्बंधित है। शोध अध्ययन इस धारणा पर आधारित है कि राजनैतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ, राजनैतिक शक्तिमत्ता की डिग्री पर आधारित होता है। प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकन प्रविधि के साथ ही साक्षात्कार अनुसूची के उपकरण का प्रयोग भी किया गया है। जगदलपुर तहसील अध्ययन का क्षेत्र है, जिसमें से दैव निर्देशन पद्धति के आधार पर अध्ययन की 25 इकाइयों को चुना गया है।

नीता बाजपेयी

धर्मनिष्ठ समाज के रूप में शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर भारतीय समाज में स्त्रियों को देवियों के समतुल्य देखे जाने की परंपरा रही है, तथापि व्यवहारिक धरातल में विभिन्न सामाजिक वर्गीय विषमताओं, आर्थिक और स्थानिक कारणों से स्त्री को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका, जो कि शास्त्रोक्त है।

भारतीय समाज के इतिहास में ऐसी अनेक स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जो कि राजनैतिक प्रभुत्व वाले परिवार की सदस्य होने के कारण महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण का प्रतीक मानी जा सकती है, किन्तु ऐसे प्रकरण केवल प्रभावशाली परिवारों से ही संबद्ध पाए गए हैं।

चूंकि जनसंख्या के संवर्गीय विकास का अर्थ यह है कि जनसंख्या में सम्मिलित आधी आबदी के रूप में स्त्रियों को भी समाज में वही स्थान, वही शक्ति और वही अधिकार तथा स्वतंत्रता मिले, जो कि पितृसत्तात्मक समाज के पुरुष वर्ग को प्राप्त है। इस रूप में महिला सशक्तिकरण का आशय महिला को पुरुष के समकक्ष या समतुल्य देखे जाने से है और यह कि महिला सशक्तिकरण का इतिहास कतिपय प्रभावशाली परिवारों से आई महिलाओं के उदाहरण मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें जनसंख्या की समस्त महिलाएँ सम्मिलित हैं।

समाज में स्त्री के राजनैतिक उत्थान से उसके लोकतांत्रिक अधिकारों, स्वतंत्रता, प्रभावशीलता और सामाजिक आधिपत्य या प्रभुत्व के द्वार खुलते हैं। इस स्थिति में महिला सशक्तिकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू राजनैतिक है, न कि केवल आर्थिक। महिलाओं की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर समाजशास्त्रियों द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं।

धर्मवीर (1990) ने आदिवासी महिलाओं के परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन किया। जबकि श्रीमती जैन (1995) द्वारा कार्यशील

महिलाओं एवं सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन राजस्थान की महिलाओं के विशेष संदर्भ में किया गया। श्री राज पररुथी (1995) के, महिला शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अध्ययनों के अतिरिक्त महिला एवं सामाजिक परिवर्तन पर कार्य गाँधीजी और महिलाओं पर आधारित है। 1995 में ही मुक्ता मित्तल द्वारा भारतीय महिलाओं के आज एवं कल तथा महिलाओं के विभिन्न सामर्थ्य का अध्ययन किया गया।

राजस्थान की महिलाओं से संबधित आशुरानी के अध्ययन महिला विकास कार्यक्रम एवं आर्थिक विकास पर केन्द्रित रहे। श्री एस. राम शर्मा के अध्ययन महिला शिक्षा पर आधारित रहे। मैत्रयी चौधरी (2000) ने विज्ञापन और प्रिंट मीडिया में भारतीय महिलाओं पर कार्य किया। देवाल राय द्वारा कृषक आंदोलन, ग्रामीण महिलाओं की शक्ति सामर्थ्य पर कार्य किया गया।

इन सभी अध्येताओं के अध्ययन महिला सशक्तिकरण हेतु आर्थिक कारक को प्रमुख आधार मानकर किए गए थे तथा इन्होंने महिला स्वातंत्र्य, उन्नति, आत्मनिर्भरता के अन्य किसी आधार को आर्थिक आधार की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं माना और न ही इस संबध में कोई अवधारणा प्रतिपादित करने की चेष्टा की, इन अध्ययनों में महिला उत्थान के प्रमुख तत्व के रूप में राजनैतिक सशक्तिकरण की अनदेखी की गयी है।

इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रस्तावित अध्ययन में यह जानने की चेष्टा की गई है कि महिला सशक्तिकरण हेतु राजनैतिक तत्व कितना महत्वपूर्ण है। आशय यह है कि प्रस्तावित अध्ययन इस धारणा पर आधारित है कि राजनैतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। अन्य शब्दों में महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ, राजनैतिक शक्तिमत्ता की डिग्री पर आधारित होता है।

प्रस्तावित अध्ययन में आर्थिक या अन्य किसी पक्ष की उन्नति

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

को महिला सशक्तिकरण का आधार मानने से इंकार नहीं किया गया है, अपितु इन आधारों की तुलना में राजनैतिक तत्व को अधिक प्रभावशील मानकर यह अध्ययन संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्ययन पद्धति :

प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकन प्रविधि के साथ ही साक्षात्कार अनुसूची के उपकरण का प्रयोग भी किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :

जगदलपुर तहसील अध्ययन का क्षेत्र है। जिसमें से दैव निर्देशन पद्धति के आधार पर अध्ययन की 25 इकाइयों को चुना गया है।

उद्देश्य :


निम्नलिखित मुख्य उपकल्पनाओं को आधार बनाकर अध्ययन संचालित किया :

- (1) महिलाओं की सामाजिक स्थिति उनकी राजनैतिक स्थिति का निर्धारण करती है।
- (2) महिलाओं की आर्थिक स्थिति उनकी राजनैतिक स्थिति का निर्धारण करती है।
- (3) महिलाओं की सांस्कृतिक अभिरुचियाँ उनके राजनैतिक उत्थान को सुनिश्चित करती है।
- (4) महिलाओं का राजनैतिक कद/स्थिति उनकी सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है।
- (5) महिलाओं का राजनैतिक कद/स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति को निर्धारित करता है।

प्रथम दो उपकल्पनार्यें प्रचलित धारणाओं पर आधारित हैं, जबकि शेष तीनों उपकल्पनार्यें प्रथम दो से विरोधाभासी प्रतीत होने के बावजूद एक-दूसरे की समपूरक हैं और अध्ययन का प्रमुख आधार भी हैं।

निष्कर्ष :

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से उत्तरदाताओं में 20 प्रतिशत 21 वर्ष से अधिक, 40 प्रतिशत 31 वर्ष से अधिक एवं 44 प्रतिशत 41 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। अध्ययन में 20 प्रतिशत संयुक्त परिवार एवं 80 प्रतिशत एकांकी परिवार के उत्तरदाता हैं। जातिवार




तालिका 1 : उत्तरदाताओं की उम्र

उम्र	आवृत्ति	प्रतिशत
21-30	05	20%
31-40	08	32%
41-50	11	44%
51+	01	4%
कुल	25	100%


तालिका 2 : उत्तरदाताओं का परिवार

परिवार	आवृत्ति	प्रतिशत
संयुक्त परिवार	05	20%
एकल परिवार	20	80%
कुल	25	100%




तालिका 3 : उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

शिक्षा का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
स्नातकोत्तर	07	28%
स्नातक	01	04%
6-12 th	04	16%
1-5 th	04	16%
शिक्षित	09	36%
कुल	25	100%



तालिका 4 : महिलाओं के सशक्तिकरण का स्वरूप

सशक्तिकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
राजनैतिक रूप से	18	72%
आर्थिक स्तर से	1	4%
दोनों स्तरों से	6	24%
कुल	25	100%



तथ्यों के आधार में 32 प्रतिशत सामान्य, 40 प्रतिशत अजजा एवं 28 प्रतिशत अपिव के उत्तरदाता शामिल हैं। शिक्षा के मानदंड के आधार पर स्नातकोत्तर स्तर में 28 प्रतिशत स्नातक स्तर में, 4 प्रतिशत हायर सेकेण्डरी स्तर में 16 एवं प्राथमिक स्तर 16 प्रतिशत एवं अशिक्षितों का स्तर सबसे ज्यादा 36 प्रतिशत पाया गया है। व्यवसाय के आधार पर सबसे ज्यादा 72 प्रतिशत अन्य कार्य का एवं नौकरी का प्रतिशत 20 है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि 12 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक राजनीतिक परिवेश से संबंधित हैं एवं शेष पारिवारिक राजनीतिक परिवेश से संबंधित नहीं है। सक्रिय राजनीति में 92 प्रतिशत, स्वयं की इच्छा से 4 प्रतिशत पारिवारिक दबाव से आए हैं। वर्तमान में सभी 100 प्रतिशत को राजनीति में रुचि है। उत्तरदाताओं के आधार पर यह कहना कि महिलाओं को सक्रिय राजनीति में सहभागी होना चाहिए। राजनीति में महिला आरक्षण में 84 प्रतिशत पक्ष में एवं 16 प्रतिशत विपक्ष में हैं। सभी उत्तरदाताओं का मानना है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ राजनीति में सम्मानजनक स्थान पा सकेंगी। राजनीतिक निर्णयों में 4 प्रतिशत ने यह स्वीकारा की परिवार का प्रभाव पड़ता है एवं शेष ने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवार की अन्य महिलाओं के व्यवहार में अध्ययन से पाया कि 4 प्रतिशत के साथ अच्छा व्यवहार, 80 प्रतिशत के साथ सामान्य एवं 16 प्रतिशत के साथ कटु व्यवहार का अनुभव है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों में महिलाओं की राय को महत्ता दी जाती है, 16 प्रतिशत ने हाँ कहा, 64 प्रतिशत ने नहीं कहा एवं शेष पर लागू नहीं है। सक्रिय राजनीति में आने के पश्चात् सामाजिक स्थिति में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। इसके उत्तर में 84 प्रतिशत ने स्वीकारा एवं 16 प्रतिशत ने नहीं कहा। महिला सशक्तिकरण का मुख्य आधार राजनीति है, 72 प्रतिशत ने हाँ कहा, 4 प्रतिशत ने आर्थिक आधार को मुख्य कहा एवं शेष 24 प्रतिशत ने दोनों आधारों को मुख्य कहा। राजनीति में आने के

पश्चात् पुरुषों के व्यवहार में परिवर्तन को सभी ने स्वीकारा, जिसमें 92 प्रतिशत नकरात्मक एवं 8 प्रतिशत ने सकारात्मक माना है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर महिलाओं की राजनैतिक सशक्तिकरण में निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :

- (1) महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रचार-प्रसार होना चाहिए।
- (2) महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए।
- (3) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए।

संदर्भ :

- (1) Dharm Vir (1990) : Tribal women Changing spectrum in India, Classical publication, New Delhi
- (2) Sharma, S.Ram (1995) : Women and Education, Discovery Publication House, New Delhi.
- (3) Puruthi, Raj (1995) : Women and Social Change, Anmol publication, New Delhi.
- (4) Mittal, Mukta (1995) : Women in India - Today & Tomorrow, Anmol Publication, New Delhi.
- (5) Puruthi, Raj (1995) : Women Education & Culture, Anmol Publication, New Delhi.
- (6) Chaudhuri, Maitrayee (2000) : Advertisements, Print Media & The New Indian Women.
- (7) Roy, Debal K. Singh (2000) : Peasant Movement & Empowerment of Rural Women.
- (8) जैन, मंजू (1995) : कार्यशील महिलाएँ एवं सामाजिक परिवर्तन, रुपा बुक्स प्रायवेट लिमिटेड।
- (9) रानी, डॉ.आशु (1995) : महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिशर्स।



UGC -

APPROVED - JOURNAL

www.ugc.ac.in/journalist/subjectwisejournalist.aspx?tid=UmVzZWYyZjg1TGluaw==&did=Q3VycmVudCBxas2014=

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

UGC Approved List of Journals

You searched for **Research Link** Home

Total Journals : 1

Show: 25 entries

View	Sl.No.	Journal No	Title	Publisher	ISSN	E-ISSN
View	1	48385	Research Link	Research Link	09731629	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

For Students

About NET UGC NET Online
Reggging Related Circulars
File Hoveeoes, Educational Log

For Faculty

Honours and Awards UGC
Regulations
Pay Related Orders M R P

More

Notices Circulars Tenders Jobs
UGC ROs Right to Information Act
Other Higher Education Links